बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
संकल्प

विषय :— राज्य अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम के पुनरीक्षित व्यवस्था के तहत राज्य में दलहन एवं तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु रबी विपणन मौसम 2025—26 एवं उसके पश्चात् के अधिप्राप्ति वर्षो में दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की स्वीकृति के संबंध में।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या L-15016/95/2020-MPS दिनांक 29.10.2024 के द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी विपणन मौसम, 2024—25 एवं उसके पश्चात के अधिप्राप्ति वर्षो में दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति हेतु पुनरीक्षित मार्ग—निर्देश निर्गत किया गया है। भारत सरकार के स्तर से दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति हेतु निर्गत मार्गनिर्देश के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्यों में दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति हेतु केन्द्रीय नोडल अभिकरण की स्वीकृति तथा उन्हें आवश्यक क्रियाशील पूँजी की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय सपोर्टर की नियुक्ति कर किसानों को ससमय न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान हेतु पर्याप्त पूँजी की व्यवस्था किये जाने का भी प्रावधान किया गया है।

2. प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत भारत सरकार से निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में वर्ष 2020—21 से सैद्धान्तिक सहमति के आधार पर तथा वर्ष 2021—22 से लगातार सभी अधिप्राप्ति वर्षो में विभागीय संकल्प संख्या 1104, दिनांक 10.03.2022 के आलोक में राज्य स्तरीय सपोर्टर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम तथा केन्द्रीय अभिकरण, नेफेड के बीच एकरारनामा सम्पन्न करते हुए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के स्तर पर क्रय केन्द्रों की स्थापना कर दलहन (चना एवं मसूर) अधिप्राप्ति सम्पन्न की जाती रही है। साथ ही वर्ष 2024—25 में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अतिरिक्त एन0सी0सी0एफ0 को विभागीय संकल्प संख्या 3016, दिनांक 21.06.2024 के द्वारा राज्य स्तरीय सपोर्टर के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया था। दलहन एवं तेलहन अधिप्राप्ति के संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.2025 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में पूर्व से प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत विभिन्न संकल्पों के माध्यम से दलहन अधिप्राप्ति हेतु लिये गये निर्णय को समाप्त कर नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 को केन्द्रीय एजेंसी के रूप में चयन कर सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल के स्तर पर क्रय केन्द्रों की स्थापना कर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के सहयोग से दलहन (चना एवं मसूर) एवं तेलहन (सरसों/राई) अधिप्राप्ति को सम्पन्न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्णय के आलोक में राज्य अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति हेतु राज्य स्तरीय सपोर्टर के रूप में चयन किए जाने के अतिरिक्त केन्द्रीय अभिकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ

मर्यादित (नेफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0) का चयन कर राज्य में दलहन (चना एवं मसूर) एवं तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति सुनिश्चित किया जाना है।

4. राज्य सरकार द्वारा लिए गए अद्यतन निर्णय के आलोक में सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडलों के द्वारा राज्य के सभी जिलों में दलहन एवं तेलहन अधिप्राप्ति के लिए क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी तथा राज्य सरकार के https://esahkari.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति सम्पन्न करते हुए ए0पी0आई0 के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samriddhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर अधिप्राप्ति से संबंधित डाटा साझा किया जायेगा। प्राईस सपोर्ट स्कीम में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को दलहन एवं तेलहन अधिप्राप्ति के लिए राज्य स्तरीय सपोर्टर को आवश्यक वित्तीय संसाधन की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर से अधिप्राप्ति कार्य हेतु चयनित नोडल एजेंसी, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान उनके नामित खातों में सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निधि की व्यवस्था की जायेगी। रबी विपणन मौसम, 2025–26 में इस निधि की व्यवस्था बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राज्य सरकार के स्तर से वित्तीय वर्ष 2024–25 अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए प्राप्त 12,000 (बारह हजार) करोड रूपये की राजकीय गारंटी से ही की जाएगी। साथ ही बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा https://esahkari.bihar.gov.in पोर्टल पर क्रय किये गये दलहन एवं तेलहन की मात्रा के आलोक में सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापन के पश्चात किसानों का डाटा बेस प्राप्त कर 48 घंटों के अन्दर किसानों का भुगतान सहकारी बैंको से प्राप्त एडवाईस के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल के स्तर पर क्रय किये गये दलहन एवं तेलहन की मात्रा को 01 क्विंटल के गुणक में केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा क्रय केन्द्र से 50 किलोमीटर की अधिकतम दूरी के अन्दर संग्रहण केन्द्र स्थापित करते हुए उन गोदामों में अविलंब जमा कराया जायेगा। केन्द्रीय अभिकरण नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल के स्तर पर स्थापित दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति हेतु खोले गए क्रय केन्द्रों पर अपने गुणवत्ता नियंत्रकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी तथा उनके द्वारा गुणवत्ता से संबंधित निर्गत प्रमाण पत्र तथा अधिप्राप्ति की मात्रा हेतु निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर CWC/SWC के गोदामों पर दलहन एवं तेलहन को प्राप्त कराया जायेगा।

5. चूँकि प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आवश्यक निधि का प्रबंधन किया जाना है। ऐसी स्थिति में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चयनित राज्य स्तरीय सपोर्टर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यकतानुसार बैंक गारंटी के माध्यम से ऋण प्राप्त कर किसानों का भुगतान निर्धारित समय सीमा में उनके नामित खातों में करने की व्यवस्था की जायेगी तथा दलहन एवं तेलहन के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अन्य आनुषांगिक व्यय (Incidental Cost) यथा परिवहन, हथालन, भण्डारण, ब्याज व्यय आदि पर केन्द्रीय अभिकरण नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में उनके CWC/SWC के गोदामों (संग्रहण केन्द्रों) में गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा निर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं अधिप्राप्ति की मात्रा हेतु निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर जमा कराये गये दलहन एवं तेलहन के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सभी आनुषांगिकों को जोड़कर अविलंब भुगतान सीधे बिहार

राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सुनिश्चित किया जायेगा। केन्द्रीय अभिकरणों यथा नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 से Incidental मद में प्राप्त राशि को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए स्वीकृत Service Charge को छोड़कर शेष राशि पैक्सों/व्यापार मंडलों को सीधे उनके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। यदि केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुमान्य अनुषांगिक एवं अन्य आकस्मिक व्यय के विरूद्ध केन्द्रीय अभिकरणों (नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0) से प्राप्त Incidental एवं आकस्मिक व्यय की अंतर राशि का भुगतान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अनुदान के रूप में किया जाएगा। दलहन अधिप्राप्ति के दौरान क्षति की स्थिति न्यूनतम रहें, इसके लिए कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी । बाध्यकारी परिस्थतियों एवं प्रशासनिक नियंत्रण के इतर कारणों से हुई क्षति के अलावे अन्य कारणों से हई क्षति के संबंध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाएगा । बाजार निष्पादन के पूर्व अधिप्राप्त भंडार की मिलिंग कराकर समन्वित बाल विकास सेवाओं तथा मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दाल की प्रतिपूर्ति का विकल्प बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध होगा।

6. रबी विपणन मौसम, 2025–26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा चना, मसूर एवं सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः चना के लिए 5650/–रूपया प्रति क्वीं0, मसूर के लिए 6700/–रूपया प्रति क्वीं0 तथा सरसों के लिए 5950/–रूपया प्रति क्वीं0 निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग, बिहार, पटना ने रबी विपणन मौसम, 2025–26 में दलहन एवं तेलहन का आच्छादन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार चना का आच्छादन 162848.14 हेक्टेयर, मसूर का आच्छादन 269348.67 हेक्टेयर तथा सरसों का आच्छादन 208975.44 हेक्टेयर अनुमानित होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. राज्य स्तरीय सपोर्टर के रूप में चयनित बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा केन्द्रीय अभिकरण के रूप में चयन किये जाने वाले केन्द्रीय एजेंसियों यथा नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के साथ प्रत्येक अधिप्राप्ति वर्ष के लिए पृथक रूप से एकरारनामा (एम0ओ0यू0) सम्पन्न कर दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति https://esahkari. bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि के अनुसार सम्पन्न की जायेगी। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स तथा व्यापार मंडल के स्तर पर स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्था, किसानों का निबंधन एवं अन्य आवश्यक तैयारियों को अधिप्राप्ति कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व पूरा कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। चूँकि केन्द्रीय अभिकरणों के स्तर से पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर गुणवत्ता नियंत्रकों की प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त 50 किलोमीटर की अधिकतम दूरी के अंदर गोदामों की स्थापना बाध्यकारी रूप से किये जाने की व्यवस्था की गई है, ऐसी स्थिति में गुणवता ह्रास अथवा अन्य कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा क्रय किये गये दलहन/तेलहन की मात्रा को पुनः गुणवत्ता के मानको पर खारिज नहीं किया जाएगा तथा उसे अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा। एक बार क्रय के पश्चात नेफेड/एन0सी0सी0एफ0 द्वारा क्षति के विरूद्ध किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के मामले को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य स्तरीय सपोर्टर द्वारा किसानों से अधिप्राप्त दलहन एवं तेलहन को केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा स्थापित CWC/SWC के गोदामों में जमा किये जाने वाले दलहन एवं तेलहन की मात्रा के आलोक में राज्य स्तरीय सपोर्टर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सभी आनुषांगिकों को जोड़कर भुगतान किये जाने के पश्चात केन्द्रीय

अभिकरण नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के द्वारा अधिप्राप्त दलहन एवं तेलहन की मात्रा का उपयोग राज्य अंतर्गत संचालित कल्याणकारी योजनाओं से प्राप्त अधियाचना के विरूद्ध आपूर्ति के अतिरिक्त बाजार निष्पादन के माध्यम से किया जायेगा।

9. केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 का यह दायित्व होगा कि दोनों केन्द्रीय एजेंसी आपस में समन्वय स्थापित कर तदालोक में लिये गये निर्णय के आधार पर दलहन एवं तेलहन अधिप्राप्ति हेतु जिलों का चयन से संबंधित प्रतिवेदन अधिप्राप्ति कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को बाध्यकारी रूप से समर्पित करेंगे।खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का यह दायित्व होगा कि केन्द्रीय एजेंसियों के द्वारा जिलों के चयन हेतु प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तदनुसार कार्य आवंटन से संबंधित दिशा निदेश निर्गत करेगी। साथ ही दलहन एवं तेलहन अधिप्राप्ति हेतु निर्गत किये जाने वाले मार्गदर्शिका में भी इसे समाहित किया जायेगा।

10. अतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के द्वारा प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत राज्य में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु रबी विपणन मौसम, 2020–21 में प्राप्त सैद्धांतिक सहमति तथा रबी विपणन मौसम, 2021–22 से संकल्प संख्या 1104, दिनांक 10.03.2022 द्वारा लिये गये निर्णय के अतिरिक्त संकल्प संख्या 3016, दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से लिये गये निर्णय को समाप्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा दलहन एवं तेलहन अधिप्राप्ति के संदर्भ में लिए गए अद्यतन निर्णय के आलोक में प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) के पुनरीक्षित व्यवस्था के तहत राज्य में रबी विपणन मौसम 2025–26 एवं उसके पश्चात् के अधिप्राप्ति वर्षो में दलहन (चना एवं मसूर) एवं तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति हेतु सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से क्रय केन्द्रों का संचालन कराकर एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राज्य स्तरीय सपोर्टर तथा केन्द्रीय अभिकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0) को नामित कर राज्य अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन (चना एवं मसूर) एवं तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति सम्पन्न करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 17.06.2025 के मद संख्या 01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। (संचिका संख्या प्र010/दलहन–तेलहन अधि0–03/2025/23./टि0)

18/06/2025
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

आदेश – अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय।

18/06/2025
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – प्र010/दलहन–तेलहन अधि0 –03/2025– 1093 खाद्य, पटना/दिनांक– 18/06/2025
प्रतिलिपि – ई गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

18/06/2025
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – प्र010/दलहन–तेलहन अधि0 –03/2025– 1093 खाद्य, पटना/दिनांक– 18/06/2025
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/2025
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – प्र010/दलहन–तेलहन अधि0 –03/2025– 1093 खाद्य, पटना/दिनांक– 18/06/2025
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

18/06/2025
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – प्र010/दलहन–तेलहन अधि0 –03/2025– 1093 खाद्य, पटना/दिनांक– 18/06/2025
प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/2025
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – प्र010/दलहन–तेलहन अधि0 –03/2025– 1093 खाद्य, पटना/दिनांक– 18/06/2025
प्रतिलिपि – संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/प्रबंध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, सिद्धार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक, नई दिल्ली/प्रबंध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित, एन0सी0यू0आई0 काम्पलेक्स, 3, सिरी इस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त कान्ति मार्ग, नई दिल्ली/शाखा प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, तीसरा तल्ला, दीपशीला कॉम्पलेक्स, बुद्ध मार्ग, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित, तीसरा तल्ला, दीपशीला कॉम्पलेक्स, बुद्ध मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/2025
प्रधान सचिव